

परियोजना विवरण :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में बबडीघार लोहन बैण्ड से बाघना तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई 9.500 किमी०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० के अन्तर्गत प्रस्तावित उक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यावर्तित होने वाली 4.2050 है० वनभूमि के दुगने अवनत सिविल सोयम भूमि 8.410 है० में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य के लिए स्थल चयन हेतु दिनांक 21.01.2019 को राजस्व विभाग की ओर से श्री पी० आर० शर्मा क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक, तहसील कालसी वन विभाग की ओर श्री वनरक्षक व श्री सुरेशानन्द धरकोरी फोरेस्टर, वन प्रभाग चकराता प्रयोक्ता एजेसी की ओर से श्री धर्मेन्द्र रावत सहायक अभियन्ता व श्री आदर्श अपर सहायक अभियन्ता तथा श्री सुन्दरसिंह तोमर अमीन, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० सहिया एवं अन्य कर्मचारियों के द्वारा स्थानीय ग्रामवासियों के साथ जनपद देहरादून में तहसील कालसी के अन्तर्गत ग्राम बागना के खाता संख्या 43 के खसरा नं० 56 व 57 है रकवा 5.800 व 2.610 है० भूमि का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया । उक्त भूमि नान ज्येड०ए० खतौनी के श्रेणी 5 3 ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि में राज्य सरकार के नाम दर्ज हैं। एवं जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है। उक्त भूमि नान ज्येड०ए० खतौनी के श्रेणी 5 (3)ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज हैं एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु स्थल उपयुक्त है।

Signature
90/11/19

Signature
प्रमाणित किया जाता है

Signature
ह० / -
प्रभागीय वनाधिकारी